

हमारी बिटिया अभियान

Checklist

1	निरीक्षण किये गए केन्द्रों के विषय में निम्नलिखित जानकारी:	केंद्र 1	केंद्र 2	केंद्र 3	केंद्र 4	केंद्र 5
	1. निरीक्षण का विवरण : 5 केन्द्र प्रति सप्ताह					
	a. निरीक्षण दल के सदस्य:					
	b. निरीक्षण की दिनांक:					
	c. केंद्र का नाम एवं पता:					
	d. केंद्र के संचालक का नाम:					
	2. केंद्र के पंजीयन का विवरण:					
	a. पंजीयन क्रमांक:					
	b. नवीनीकरण का दिनांक:					
	c. केंद्र पर की जाने वाली प्रक्रिया:					
	d. मशीनों की संख्या (मेक, मॉडल क्रमांक एवं सीरियल क्रमांक सहित):					
	e. मशीनों का invoice					
	f. पोर्टेबल/स्थाई:					
	3. सोनोग्राफी मशीन का संचालन करने वाले चिकित्सकों का विवरण:					
	1. नाम:					
	2. योग्यता:					
	4. केंद्र पर प्रदर्शित सूचनाओं से सम्बंधित:					
	a. "लिंग चयन कानूनन अपराध है, इस केंद्र में लिंग चयन नहीं किया जाता है" का बोर्ड केंद्र में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में होना अनिवार्य है					
	b. अधिनियम एवं उसके नियमों की प्रतिलिपि:					
	5. केंद्र पर रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण :					
	a. फॉर्म 'F':					
	b. ANC Register					
	c. फॉर्म 'G' [invasive procedures करने वाले केंद्रों के लिए]:					

	d. केंद्र द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी को हर माह के 5 तारीख से पहले भेजे जाने वाली जानकारी की पावती					
2	अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर की गयी कार्यवाही का विवरण :					
	a. केंद्र को कारण बताओ नोटिस:					
	b. जिला सलाहकार समिति के समक्ष चर्चा:					
	c. केंद्र पर की गई सील एवं जप्ती की कार्यवाही:					
	d. पंजीयन का निलंबन:					
	e. पंजीयन का निरस्तीकरण:					
3	जिले में संचालित अपंजीकृत केन्द्रों का विवरण :					
	a. संचालित अपंजीकृत केन्द्रों की संख्या					
	b. अपंजीकृत केन्द्रों पर की गयी कार्यवाही					
4	www.hamaribitiya.in वेबसाइट के विषय में :					
	a. वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने हेतु प्रचार प्रसार :					
	b. दर्ज शिकायत पर की गयी कार्यवाही:					
5	Sting Operation के विषय में जानकारी :					
	a. Sting Operation की संख्या :					
	b. Sting Operation पर की गयी कार्यवाही:					
6	जिला सलाहकार समिति की बैठक का विवरण :					
	a. बैठक की तिथि					
	b. बैठक में लिए गए निर्णय					

**अधिनियम के धारा 30 के अनुसार जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर केंद्र एवं मशीन को सील एवं जप्त किये जाने का प्रावधान है। सील को न्यायालय के आदेश द्वारा ही खोला जा सकेगा।*